प0 सं0–14/डी0एल0ए0 सिवान (सम्पर्क सड़क)–49/11–3030/रा0, पटना–15, दिनांक–24/12/2012

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

पत्र सं0 .... सिवान दिनांक....................

चूंकि बिहार सरकार को प्रतीत होता है कि मौजा– धरहरा, थाना नं0– 125, थाना– सिवान, परगना– चौबार, जिला– सीवान के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु राजस्व विभाग, बिहार सरकार के खर्च पर भूमि ली जानी है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा– धरहरा थाना नं0– 125 के अन्दर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम–बेस 0.05 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अधिघोषित खेसरा निम्न प्रकार है :– 706 अंश, 707 अंश, 708 अंश, 709 अंश, एवं 710 अंश।

अधिघोषित भूमि की चौहद्दी

उत्तर – 700 पूर्ण।

दक्षिण – 710 अंश।

पूरब – 707, अंश, 708 अंश, 709 अंश।

पश्चिम– सर्वे नं0– 706 अंश।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों के खानों की आवश्यकता नहीं है। किन्तु खानों या खनिजों के वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिए जाऐगें।

यह अधिघोषणा बिहार भू–अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 6 के उपवंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

समाहर्त्ता,
सिवान।

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

पी0 टी0 ओ0

ज्ञाप सं0–14/डी0एल0ए0 सिवान (सम्पर्क सड़क)–49/11–3030 /रा0, पटना–15, दिनांक–24/12/2012

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो–दैनिक समाचार पत्रो जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशन करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय सिवान को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा /समाहर्त्ता, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।